सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 29, बुधवार, शाके 1944-जुलाई 20, 2022 *Asadha 29, Wednesday , Saka 1944- July 20, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 19, 2022

जी.एस.आर.56 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (षष्टम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-। का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची-। में शीर्ष **ग्रुप ख पैरा चिकित्सा संवर्ग (चिकित्सा)** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक 5,6,7 और 8 तथा उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

5.	नेत्र विज्ञान अधिकारी	-	100%	-	दृष्टिमितिज्ञ	स्तम्भ सं.5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
6.	दृष्टिमितिज्ञ	-	100%	-	नेत्र विज्ञान सहायक ग्रेड-।	स्तम्भ सं.5 में उल्लिखित

							पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
7.	नेत्र विज्ञान सहायक ग्रेड-I।	-	100%	-	नेत्र विज्ञान सहायक	स्तम्भ सं.5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
8.	नेत्र विज्ञान सहायक	100%	-	1. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित के साथ सीनियर सैकण्डरी (10+2); और 2. राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से नेत्र विज्ञान प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा; और 3. राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत।	-	-	-

"

[सं. 2(1)डीओपी/ए-।।/82 पार्ट ।।]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, July 19, 2022

G.S.R.56 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Sixth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, under the heading Group B Para Medical Cadre (Medical), for the existing serial number 5 and entries thereto, the following serial number 5, 6, 7 and 8 and entries thereto shall be substituted, namely:-

"

5.	Ophthalmic Officer	-	100%	-	Optometrist	5 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
6.	Optometrist	-	100%	-	Ophthalmic Assistant Grade-I	5 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
7.	Ophthalmic Assistant Grade-I	-	100%	-	Ophthalmic Assistant	5 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
8.	Ophthalmic Assistant	100%	-	1. Senior Secondary (10+2) with Physics, Chemistry and Biology or	-	-	-

Mathematics;

and

2. Two years diploma in Ophthalmic Technology from institute recognized by the State Government;

and

3. Registered in Rajasthan Para-Medical Council.

"

[No. F. 2(1)DOP/A-II/82 Pt. II]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.